

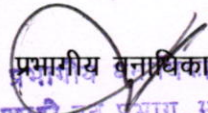
परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित $(6.00 \times 5.00 = 30.00)$ वर्ग मी० अर्थात् 0.0030 है० (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

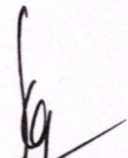
अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

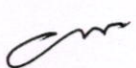
प्रमाण—पत्र

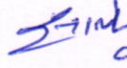
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.0030 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिसासी अभियन्ता
यांत्रिक शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून


प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


जिला माजिस्ट्रेट
देहरादून
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग